राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अधिवक्ता का
1.	2280 / 2023	कमलेश कुमार अवस्थी	1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शिक्षा सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, अलवर।	श्री संदीप कलवानिया
2.	1942 / 2023	हवा सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला हनुमानगढ। 4. प्रधानाचार्य, जीयूपीएस 4 एएमएस, तह. भद्रा, जिला हनुमानगढ।	श्री नितेश कुमार गर्ग
3.	1947 / 2023	हीरालाल	1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, अजमेर, राजस्थान। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला हनुमानगढ। 5. प्रधानाचार्य, गोरा देवी बालिका उच्च मा. विद्यालय, भद्रा, जिला हनुमानगढ।	श्री नितेश कुमार गर्ग
4.	1949 / 2023	तिलोक चन्द गोयल	1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला हनुमानगढ। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तह. भद्रा, जिला हनुमानगढ।	श्री नितेश कुमार गर्ग
5.	1952 / 2023	रघुवीर सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राज. सरकार, बीकानेर मण्डल, बीकानेर, राजस्थान। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला हनुमानगढ। 5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, जोगीवाला, 11जेजीडब्ल्यू, ब्लॉक भद्रा, जिला हनुमानगढ।	श्री नितेश कुमार गर्ग

6.	1953 / 2023	राजेश कुमार शर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम, जिला सीकर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, लोसल, जिला सीकर।	श्री नितेश कुमार गर्ग
7.	1954 / 2023	बलबीर शर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, जिला हनुमानगढ। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोगीवाला, 11जेजीडब्ल्यू, ब्लॉक भद्रा, जिला हनुमानगढ।	श्री नितेश कुमार गर्ग

आदेश की दिनांक : 08.12.2023

उपस्थित –
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपरोक्त अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 2280 / 2023 कमलेश कुमार अवस्थी बनाम राजस्थान राज्य की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त टेबिल में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के आधारों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर आदेश दिनांक 25.06.1987 को हुई थी, जिस पद पर उन्होंने दिनांक 01.07.1987 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.07.1996 से वेतन श्रृंखला 5000–8000 में दिया गया। अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.07.2006 से दिया गया। अपीलार्थी की पदोन्नति वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पातेय वेतन पर दिनांक 31.08.2006 के आदेश द्वारा हुई। इसके पश्चात अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर डीपीसी वर्ष 2008–09 में आदेश दिनांक 10.04.2013 से नियमित पदोन्नति प्रदान की गई।

अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध आदेश दिनांक 30.07.2015 के द्वारा व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी ने एक अभ्यावेदन दिनांक 15.11.2019 को दिया, जिसमें उन्होंने व्याख्याता के पद पर 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.07.2014 से दिये जाने की प्रार्थना की। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग में चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्रदान करने के संबंध में एक आदेश दिनांक 30.05.2019 जारी किया, जिसमें यह निर्देश प्रदान किया कि वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ.14 (88) एफ.डी. रूल्स 2008–I दिनांक 31.12.2009 के बिन्दु संख्या 7 के प्रावधानों के अन्तर्गत (Regular service for grant of benifits under the A.C.P. Scheme shall be counted for the date of Joining of a post in direct entry grade on the regular basis on the direct recruitment.) एसीपी देने के प्रावधान है। यदि किसी समायोजित कार्मिक की बी.एड. एवं अन्य शैक्षणिक याग्यता के आधार पर 18 वर्षीय एसीपी की देयता तिथि से पूर्व की तिथि को पारेष्ठ अध्यापक पर पर पदोन्नति हो जाती है उन मामलों में 31.12.2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत 18 वर्षीय एसीपी पर आगामी ग्रेड पे स्वीकृत की जाकर 27 वर्षीय एसीपी पर आदेश दिनांक 31.12.2009 एवं 30.10.2017 के एसीपी प्रावधानों के अन्तर्गत 5400/– ग्रेड पे/लेवल–13 में एसीपी देय है। अपीलार्थी की द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर नियमित पदोन्नति अदेश दिनांक 10.04.2013 के द्वारा वर्ष 2008–09 की रिक्तियों के विरुद्ध हुई थी। अतः अपीलार्थी उक्त आदेश दिनांक 30.05.2019 से भी आहत है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे तर्क है कि राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 05.07.2013 के द्वारा ग्रेड पे संशोधित करते हुए स्पष्टीकरण जारी किया कि अध्यापक ग्रेड तृतीय की एन्ट्री पे स्केल ग्रेड पे 3600 मानते हुए 9 वर्षीय, 18 वर्षीय एवं 27 वर्षीय ए.सी.पी. (चयनित वेतनमान) देने पर कर्मचारी को ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 देय है।

उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान पे–स्केल 4200, 4800 एव 5400 की दिलाई जाए।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी/चयनित वेतनमान देय होता है। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनाक 07.08.1998 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतनमान दिनांक 01.07.1998 से 4000–6000 निर्धारित किया गया है। प्रयोगशाला सहायक पद का पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में (दिनांक 01.01.2006 से 30.06.2013) ग्रेड पे 2400 रूपये में प्रारम्भिक वेतन निर्धारित किया गया। वित्त विभाग के आदेश

दिनांक 05.07.2013 से प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतन ग्रेड पे 2800 दिनांक 01.07.2013 से निर्धारित किया जाकर तत्पश्चात् प्रथम/द्वितीय/तृतीय चयनित वेतनमान/ए.सी.पी पर कमशः 3600, 4200 एवं 4800 ग्रेड–पे स्वीकृत किया जाना निर्धारित किया गया है। अतः वित्त विभाग के आदेश दिनाक 31.12.2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी देय है। अपीलार्थी को वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक पद पर सीधी नियुक्ति तिथि के आधार पर 18 वर्षीय ए.सी.पी. दिनांक 01.07.2013 से 4200 ग्रेड पे में वेतन देय था।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.07.2013 में उदाहरण संख्या 3 में यह प्रावधान है कि वरिष्ठ अध्यापक पद की ग्रेड पे 3600/– जिससे दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4200/– परिवर्तित की गई है। ऐसे अध्यापकों को पूर्व में 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी. प्रथम के रूप में ग्रेड पे 4200/– अनुज्ञेय थी उनकी अब दिनांक 01.07.2013 से पद की परिवर्तित ग्रेड पे 4200/– के आधार पर ए.सी.पी. प्रथम में ग्रेड पे 4800/– अनुज्ञेय होगी तथा उक्त अधिसूचना के बिंदु संख्या 5 में यह प्रावधान किया गया है कि जिन कर्मचारियों की प्रथम नियुक्ति के पश्चात् दिनांक 01.07.2013 से पूर्व पदोन्नति हो चुकी है उन्हें पदोन्नति पद पर प्राप्त परिवर्तित ग्रेड पे के आधार पर ए.सी.पी. देय होगी। अपीलार्थी की पदोन्नति दिनांक 01.07.2013 से पूर्व वर्ष 2008–09 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति हो चुकी थी तथा उक्त प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक की ग्रेड पे 4200/– होती है तथा अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पर अगली ग्रेड पे 4800/– अपीलार्थी को देय होती है तथा 27 वर्ष की सेवा पर अगली ग्रेड पे 5400/– होती है। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्त ग्रेड पे 4200/– रूपये है। ए.सी.पी. की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ग्रेड पे क्रमशः 4200/–, 4800/– एवं 5400/– देय है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में निर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है, जो प्रयोगशाला सहायकों के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत हो गये हैं। वे वरिष्ठ अध्यापक पद का चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

उपरोक्त समस्त अपीलों में उपरोक्त प्रकार से ग्रेड–पे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी पर क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 के स्थान पर कम की गई है। ऐसे में उपरोक्त समस्त अपीलों में समान बिन्दू नियत है। उपरोक्त समस्त अपीलों के संबंध में उपरोक्तानुसार की गई विवेचना के आधार पर हम यह पाते हैं कि अपीलार्थीगण जो प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत हो गये है, वह 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर एसीपी के लाभ पर ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800, एवं 5400 में फिक्सेशन कराने के अधिकारी हैं और उक्तानुसार सातवें वेतन आयोग के अनुसार भुगतान पाने के अधिकारी है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलें स्वीकार की जाती हैं तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण द्वारा 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर एसीपी के लाभ पर ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800, एवं 5400 में फिक्सेशन करते हुए सांतवे वेतन आयोग के तहत भुगतान किया जावें।

उक्त निर्देशों की पालना तीन माह की अवधि में की जावे। निर्धारित अवधि में पालना नहीं करने की स्थिति में अपीलार्थी की रोकी गई राशि/वेतन से कटौती की राशि को 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान तिथि तक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 2280/2023 में एवं आदेशों की प्रतिलिपि उपर्युक्त टेबिल में अंकित अन्य समस्त अपीलों की पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

आदेश आज दिनांक 08.12.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)	(अनन्त भण्डारी)
सदस्य	सदस्य (न्यायिक)